

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2022/73 दिनांक: 01.01.2022

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।


क्र.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	कमला मीणा प्रधानाचार्य राउमावि फालियावास, बस्सी जयपुर	जनवरी 2022	राउमावि पडासोली, बस्सी, जयपुर
2	नरेश कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य राउमावि वाम्बोली, रामगढ, अलवर	नवम्बर 2021 से जनवरी 2022	राउमावि सौराई, लक्ष्मणगढ, अलवर
3	मंजु सोनी प्रधानाचार्य राउमावि जैतपुरा, गोविन्दगढ, जयपुर	अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021	राउमावि नरेना, जयपुर
4	नवीन माथूर प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) अलाय, नांगौर	जनवरी 2022 से लगातार	राउमावि जोधियासी, नांगौर
5	चौथराम प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)ढाबां, हनुमानगढ	जनवरी 2022 से लगातार	राउमावि संतपुरा, हनुमानगढ
6	ऊषा शर्मा प्रधानाचार्य राउमावि मुण्डियागढ, सांभरलेक, जयपुर	अगस्त 2021	राउमावि मुण्डियागढ, सांभरलेक, जयपुर
7	भूपिन्द्र सिंह मिन्हास प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) फरीदसर, कंसरीसिंहपुर, श्री गंगानगर	जनवरी 2022 से लगातार	राउमावि रडेवाला, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/2557/2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

(अजय कुमार वाजपेयी)  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बंधित कार्मिक /संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

